

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-II/272 दिनांक :- 16/06/25

कार्यालय आदेश

श्री रामलाल मेघवाल, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उदयपुर क्षेत्र, उदयपुर के पत्र क्रमांक 984 दिनांक 13.05.2025 की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत (वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 22.02.2021 के अनुक्रम में) असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 20.05.2025 से 18.06.2025 तक कुल 30 दिवस

उक्त 30 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री रामलाल मेघवाल, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें। साथ ही वित्त विभाग (नियम) के मेमोरेण्डम दिनांक 22.02.2021 के अनुसार परिवीक्षाधीन अवधि बढ़ाई जावेगी।


(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-II/272 दिनांक :- 16/06/25
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उदयपुर क्षेत्र, उदयपुर।
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 3 श्री रामलाल मेघवाल, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उदयपुर क्षेत्र, उदयपुर।
- 4 उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 रक्षित/निजी पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)